कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/ रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, गाजीपुर।

दिनांक –16.06.2020

पत्रांक 202 /सा0प्र0/स0सु0/20–21

अधिसूचना

चूँकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम,1988 (अधिनियम संख्या 59,1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधनित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता सुरक्षा, सुविधा या किसी सड़क अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

और जहा उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्रविधानों के अनुसरणमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम,1988 (अधिनियम संख्या–59,1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली,1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गाजीपुर जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मार्गो या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है–

क0स0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहा से कहा तक)जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गीय गति सीमा			
			टू व्हीलर/थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चलक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं संतभ 4,5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	वाराणसी, गोरखपुर, मार्ग (एन0एच0–29)	सिधौना से शेखपुर	40 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	50 की0मी प्रति घण्टा
2	ताड़ीघाट जमानियॉं, मार्ग (एन0एच0–97)	ताड़ीघाट से जमानियॉं	40 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	50 की0मी प्रति घण्टा
3	रौजा, बलिया, मार्ग (एन0एच0–24)	रौजा से कोटवा नारायणपुर	40 की0मी0 प्रति घण्टा	50 की0मी0 प्रति घण्टा	50 की0मी0 प्रति घण्टा	45 की0मी प्रति घण्टा
4	गाजीपुर, आजमगढ़ मार्ग (प्रा0ख0लो0नि0वि0)	गाजीपुर से जलालाबाद	40 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	50 की0मी प्रति घण्टा
5	ताड़ीघाट, बारा, चौसा कुम्हार मार्ग (नि0ख0–1 लो0नि0वि0)	ताड़ीघाट से बारा	40 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	50 की0मी प्रति घण्टा
6	सैदपुर, चिरईयाकोट मार्ग (प्रा0ख0लो0नि0वि0)	सैदपुर से भिमापार	40 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	50 की0मी प्रति घण्टा

17-06-2020

Scanned with CamScanner

क0स0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहा से कहा तक)जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गीय गति सीमा			
			टू व्हीलर/थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चलक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं संतम 4,5 एवं 6 को छोड़कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
8	गजीपुर, शादियाबाद, बहरियाबाद, मार्ग (प्रा0ख0लो0नि0वि0)	गाजीपुर से बहरियाबाद	40 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	50 की0मी प्रति घण्टा
9	मनिहारी, जखनियॉ मार्ग (प्रा0ख0लो0नि0वि0)	मनिहारी से जखनियॉ	40 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	50 की0मी प्रति घण्टा
10	सैदपुर सादात मजूई मार्ग (प्रा0ख0लो0नि0वि0)	सैदपुर से मजूई चौराहा	40 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	50 की0मी प्रति घण्टा
11	सैदपुर ,चोचकपुर मार्ग(प्रा0ख0लो0नि0वि0)	सैदपुर से चोचकपुर	40 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	50 की0मी प्रति घण्टा
12	जमानियॉ, दिलदारनगर, भदौरा मार्ग (नि0ख0–1 लो0नि0वि0)	जमानियॉ से भदौरा	40 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	50 की0मी प्रति घण्टा
13	गजीपुर, चोचकपुर मार्ग (नि0ख0–1 लो0नि0वि0)	गाजीपुर से चोचकपुर	40 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	50 की0मी प्रति घण्टा
14	थ्दलदारनगर, देवल मार्ग (नि0ख0–1 लो0नि0वि0)	दिलदारनगर से देवल	40 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	50 की0मी प्रति घण्टा
15	नन्दगंज, शादियाबाद मार्ग (नि0ख0–1 लो0नि0वि0)	नन्दगंज से शादियाबाद	40 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	50 की0मी प्रति घण्टा
16	कोटवानारायणपुर, लड्डूडिह, दुबिहा हरदासपुर मार्ग (नि0ख0–1 लो0नि0वि0)	कोटवानारायणपुर से हरदासपुर	40 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	50 की0मी प्रति घण्टा
17	मटेहू, गाई, धरिहॉ, सलामतपुर सिधाघरगाट मार्ग (नि0ख0–3 लो0नि0वि0)	मटेहू गाई से सिधाघरगाट	40 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	60 की0मी0 प्रति घण्टा	50 की0मी प्रति घण्टा

Scanned with CamScanner

गति संबधी उपरोक्त प्रतिबन्ध निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रमारी होगा–

1. मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा–116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर–प्रारम्भिक एवं अन्तिम विन्दू पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबन्धित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालको को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सकें तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिए रेट्रो रिफलेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।
2. उक्त प्रतिबन्ध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में बिनीर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–
   अ) अग्नि शमन वाहन
   ब) एम्बुलेंस।
   स) पुलिस वाहन।
   द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिए प्रयुक्त होने वाले वाहन।
   य) प्रकृतिक आपदा के प्रबन्धन के लिए प्रयुक्त वाहन।
3. उपरोक्त तालिका के कॉलम–3 में उल्लेखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम,1988 (1988 का 59) की धारा–112 की उप धारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377 दिनांक 06.04.2018 समय–समय पर यथा संशोधन द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,

राम सिंह
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद गाजीपुर।

पृ0स0 202 /अधि0/स0सु0/2020 समदिनांकित–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परिवहन आयुक्त उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यतायात) यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी गाजीपुर।
4. पुलिस अधीक्षक गाजीपुर।
5. उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र) वाराणसी।
6. संभागीय परिवहन अधिकारी वाराणसी।
7. निदेशक, छपाई मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
8. अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्ती खण्ड/निर्माण खण्ड–1/निर्माण खण्ड–3, लोक निर्माण विभाग, गाजीपुर।
9. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पूर्वी) लखनऊ उ0प्र0।
10. जिला सूचना अधिकारी, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करने कि कष्ट करें।

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद गाजीपुर।

Scanned with CamScanner